17.04.2014

प्रेसनोट

कुछ लोगो की गलतफहमी के कारण उम्मीदवार सूची को लेकर आम जनताके बीच निर्वाचन विभाग के लिए फैलाई जा रही भ्रान्ति को नजरअंदाज किया जाये|

भारत चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-२०१४ के लिए उम्मीदवारी पत्र भरने से लेकर उम्मीदवारी पत्र वापस लेने तक के समयपत्रक का अनुपालन करते हुए निर्वाचन विभाग दमण ने ०२ अप्रैल, २०१४ को नॉमिनेशन की शुरुआत की थी और ०९ अप्रैल, २०१४ तक नॉमिनेशन किया गया, १० अप्रैल , २०१४ को प्राप्त नॉमिनेशन का सूक्ष्म परीक्षण किया गया और सुक्ष्म परिक्षण के बाद मान्य ४ नॉमिनेशन के नाम फॉर्म ४ में घोषित किये गए उसके अनुसार सुक्ष्म परिक्षण सूची के मुताबिक क्रम संख्या १ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री भावेश पटेल, २ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्री केतन डाह्याभाई पटेल, ३ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पटेल लालुभाई बाबुभाई और ४ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्री कशुर गोअन थे|

नॉमिनेशन वापस लेने की आखरी तारीख १२ अप्रैल, २०१४ के बाद भारत चुनाव आयोग के मार्गदर्शिका के मुताबिक गुजराती वर्णमाला के अनुसार फॉर्म 7A [नियम 10(1)] लोकसभा चुनाव - २०१४ लड़ रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची दिनांक १२.०४.२०१४ को जारी की गयी और इस उक्त अंतिम सूची के मुताबिक क्रम संख्या १ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार श्री केतन डाह्याभाई पटेल,२ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री पटेल लालुभाई बाबुभाई, ३ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री भावेश पटेल और ४ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार श्री कशुर गोअन रहेंगे, तो उम्मीदवारों की अंतिम सूची सम्पूर्ण रूप से भारत चुनाव आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार तैयार की गइ और दिनांक १२.०४.२०१४ को अधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, कुछ लोगो को उम्मीदवारी सूची के सम्बन्ध में ग़लतफहमी होने के कारण जनता के बीच जो निर्वाचन विभाग के लिए भ्रान्ति फैलाई जा रही है उसे नज़रअंदाज किया जाये और आम जनता से अनुरोध है ऐसी भ्रांतियों में न आकर अपने मताधिकार का उपयोग करे|

****